

क्रमांक: औप्रसं/अलवर/2022/1125

दिनांक:- 07/04/2022

मैसर्स.....

विषय-शिक्षता अधिनियम 1961 के तहत प्रशिक्षु लगाने हेतु दिनांक 04.10.2021 को अप्रेन्टीसशिप मेला आयोजन में भाग लेने बाबत।

सन्दर्भ:-भारत सरकार का राज्य सरकार को प्रेषित पत्रांक D.O.No:DGT-44(1)/2021-AP

Dated -09-03-2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि भारत सरकार के संदर्भित पत्रांक (प्रति संलग्न) द्वारा दिनांक 21.04.2022 को अप्रेन्टीसशिप मेला आयोजन करने के निर्देश प्रदान किए गए हैं। प्रतिष्ठान में प्रशिक्षुओं के नियोजन हेतु दिनांक 21.04.2022 को राजकीय आई0टी0आई0 अलवर में अप्रेन्टीसशिप मेला आयोजित किया जा रहा है। जिसमें बड़ी संख्या में रोजगार के इच्छुक आई0टी0आई0 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के भाग लेने की संभावना है।

भारत सरकार के Apprenticeshipindia.org portal पर आपका प्रतिष्ठान अधिसूचित है। व्यवसायवार रिक्तियों पर प्रशिक्षुओं का नियोजन किया जाना अपेक्षित है।

अतः आपसे निवेदन है कि इस मेले में आप उपस्थित होकर प्रशिक्षुओं का साक्षात्कार एवं चयन करने का श्रम करावें जिससे चयनित अभ्यर्थियों को प्रतिष्ठान में शिक्षता प्रशिक्षण प्रदान कर कौशल प्रशिक्षित युवा जनशक्ति तैयार कर सकें और राष्ट्र के विकास में ये युवा भागीदार बन सकें।

(1) जिन प्रतिष्ठानों द्वारा कि भारत सरकार के Apprenticeshipindia.org portal पर प्रतिष्ठान संबंधी सूचनाएँ सबमिट/अपलोड नहीं की गई है, उनकी प्रोफाइल अपूर्ण/इनकम्प्लिट है या प्रशिक्षुओं की रिक्तियां निर्धारित नहीं की गई है। उनसे अनुरोध है कि को अप्रेन्टीसशिप पोर्टल पर यह कार्य शीघ्र पूर्ण करके सूचित करें।

ताकि इच्छुक अभ्यर्थी उक्त वेब पोर्टल पर शिक्षता प्रशिक्षण हेतु ऑन लाइन आवेदन कर सकें।

(2) प्रतिष्ठान में व्यवसायवार वेकेन्सीज की सूचना भिजवाए।

(3) अप्रेन्टीसशिप मेले में भाग लेने की अपनी सहमति पत्र आगन्तुक कार्मिक प्रबन्धक के नाम सहित भिजवाएं।

अतः आपसे परामर्श है शिक्षता अधिनियम 1961 की पालना करते हुए प्रतिष्ठान में प्रशिक्षुओं को नियुक्त कर शिक्षता प्रशिक्षण प्रदान करें जिससे राष्ट्र को उद्योगों की मांग के अनुसार कौशल एवं प्रशिक्षित युवा उपलब्ध हो सकें।

संलग्न - पत्र की प्रतीति)

भवदीय



सहायक शिक्षता सलाहकार एवं आचार्य
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
अलवर (राज0)

दिनांक-07.04.2022

क्रमांक:- 1126-1127

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. श्रीमान क्षेत्रिय निदेशक RDSDE, झालाना डुगैरी जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. श्रीमान संयुक्त निदेशक शिक्षता प्रशिक्षण बनीपार्क जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।।



सहायक शिक्षता सलाहकार एवं आचार्य
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
अलवर (राज0)